# <u>कार्यालय जन सूचना अधिकारी</u>
# <u>जिला न्यायालय दुर्ग</u>

**<u>आवेदन क0 05/2016</u>**

**आवेदक का नाम** – श्रीमती कलेन्द्री बाई

लोक प्राधिकरण का नाम – जिला न्यायालय दुर्ग

## // <u>आदेश</u> //

**19 जनवरी 2016**

आवेदिका श्रीमती कलेन्द्री बाई ने अधोहस्ताक्षरित से जन सूचना अधिकारी की हैसियत से जानकारी चाही है :–

**चाही गयी सूचना** 01 आवेदिका के पति की हत्या 23.01.2014 को ग्राम ढौर में कर दी गयी थी । जिसका अपराधिक प्रकरण क्रमांक विशेष 05/15 शासन वि0 त्रिभुवन वगैरह श्रीमान राजेश श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश दुर्ग में लंबित है ।
विशेष लोक अभियोजक दुर्ग श्री आदित्य ताम्राकर द्वारा प्रस्तुत ट्रायल प्रोगाम में चश्मदित साक्षी का नाम विलोपित कर दिया गया था एवं कमजोर साक्षी का नाम ट्रायल प्रोग्राम मे रखा था । जिसकी शिकायत आवेदिका द्वारा विभिन्न सक्षम अधिकारियों एवं न्यायालयों में की गई है । उस कड़ी मे विधि ओर विधायी कार्य विभाग रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र कार्यवाही स्वरूप ।

02 श्रीमान आदित्य ताम्रकर विशेष लोक अभियोजक दुर्ग को प्रेषित की गई है एवं प्रतिलिपि ।
संदर्भित पत्र की प्राप्ति उपरांत माननीय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा की गई कार्यवाही एवं निष्कर्ष की प्रतिलिपि सूचना के अधिकार के तहत प्रदान करने की कृपा करे ।

आवेदिका के द्वारा चाही गयी जानकारी का अवलोकन किया गया ।

1 आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक 10/– रूपये का ई कोर्ट स्टैम्प संलग्न किया गया है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–28 के तहत माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार नियम 2005 निर्मित किया गया है, जिसके नियम–3 के अनुसार प्रत्येक आवेदन पत्र में 12/– रूपये की कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा की जानी चाहिए, लेकिन आवेदिका ने 10/– रूपयें का ई कोर्ट स्टैम्प संलग्न किया गया है । जिसके कारण आवेदन पत्र निरस्त किये

जाने योग्य है ।

अतः उक्त कारण से चाही गयी जानकारी आवेदिका को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदाय नहीं किया जा सकता है । उक्त कारणों से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है, अतः खारिज किया जाता है।

आवेदिका को आवेदन पत्र में सलंग्न ई कोर्ट स्टैम्प 10/–रूपयें का आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे ।

आवेदक श्रीमती कलेन्द्री बाई को उक्त निरस्तीकरण की सूचना जिला न्यायालय, सूचना के अधिकार नियम 2005 के परिशिष्ट में उल्लेखित फार्म ''सी'' में इस आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जावे, जिसमें यह टीप अंकित की जावे कि यदि वे इस आदेश से व्यथित हैं, तो निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर वे प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (श्रीमान् नीलम चंद सांखला) दुर्ग के समक्ष प्रथम अपील संस्थित कर सकते हैं ।

दुर्ग,दिनांक 19/01/16

सही/–

(राजेश श्रीवास्तव)
जन सूचना अधिकारी,
जिला न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

# कार्यालय जन सूचना अधिकारी
# जिला न्यायालय दुर्ग

**आवेदन क0 06/2016**

**आवेदक का नाम** – श्रीमती कलेन्द्री बाई

लोक प्राधिकरण का नाम – जिला न्यायालय दुर्ग

## // आदेश //

**19 जनवरी 2016**

आवेदिका श्रीमती कलेन्द्री बाई ने अधोहस्ताक्षरित से जन सूचना अधिकारी की हैसियत से जानकारी चाही है :–

**चाही गयी सूचना** 01 थाना उतई में अपराध क्र. 16/14 परसराम ठाकुर के हत्या के संबंध में दर्ज है, जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) दुर्ग द्वारा किया जाकर अभियोग पत्र प्रस्तुत उपरांत माननीय न्यायालय में विचारण चल रहा हैं उपरोक्त प्रकरण में 14 गवाहों का धारा 164 के तहत जे.एम.एफ.सी श्रीमती उर्मिला गुप्ता के न्यायालय में बयान 19.08.2014, 20.08.2014,21.08.2014,08.10.2014 को हो गया है । न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के उपरांत करने के उपरांत उपरोक्त सभी धारा 164 के 14 गवाह के बयान की खुली प्रति संलग्न है, जो कि सभी आरोपीगण के पास एवं अन्य के पास उपलब्ध हैं ।

धारा 164 के बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगे जाने पर केवल 12 गवाहों के 164 के तहत दी गई बयान की प्रति दी गई, जो खुला है, पर दो गवाहों के बयान (164 धारा) की प्रति सील बंद होने के कारण प्रतिलिपि शाखा द्वारा प्रतिलिपि नही दी गई एवं कहां गया कि उक्त बयान को न्यायालय, विचारण के अंतिम में चाहेगें तो खुलेगा अन्यथा उक्त बंद लिफाफा जिसमें दो गवाहों के धारा 164 के तहत बयान दर्ज है, नही खुलेगा ।

माननीय महोदय जी, धारा 164 का सभी बयान खुला व सभी 14 गवाहों के बयान की प्रति सभी आरोपी व अन्य के पास उपलब्ध है व सभी 14 गवाह का धारा 164 के बयान की फोटो कापी भी अप. प्रकरण क्र. 05/15 (विशेष) शासन वि0 त्रिभुवन में मौजूद है, जिसकी सुनवाई जारी है ।

2 गवाहों का धारा 164 का बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि नही मिल पाई है, जिससे मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण पेश नही कर पा रहे हैं ।

जो सभी गवाहों का 164 धारा के तहत बयान खुला था व चालान प्रस्तुत के समय भी खुला था पर अब उनमें से 2 गवाहों के धारा 164 के तहत दर्ज बयान को कब्र सील बंद कर दिया गया व किन–किन विधिक प्रकियाओं का पालन किया गया व सिर्फ 2 गवाहों के बयान को क्यों सील बंद किया व किनकी अनुमति से कब–कब बंद कर, कब–कब खोला गया यह

संदेह के दायरे में है ।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने की कृपा करें कि अप. प्रकरण क्रमांक 05/15 (शासन वि0 त्रिभुवन वगै.) जो मान. महोदय के न्यायालय में विचारण में है, में धारा 164 के तहत दर्ज 14 गवाहों का बयान को कब–कब सील बंद कर, कब–कब खोला गया व किन किन विधिक प्रक्रियाओं का पालन उपरोक्त हेतु क्रम में किया गया ।

आवेदिका के द्वारा चाही गयी जानकारी का अवलोकन किया गया ।

1 आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक 10/– रूपये का ई कोर्ट स्टैम्प संलग्न किया गया है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–28 के तहत माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार नियम 2005 निर्मित किया गया है, जिसके नियम–3 के अनुसार प्रत्येक आवेदन पत्र में 12/– रूपये की कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा की जानी चाहिए, लेकिन आवेदिका ने 10/– रूपयें का ई कोर्ट स्टैम्प संलग्न किया गया है । जिसके कारण आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः उक्त कारण से चाही गयी जानकारी आवेदिका को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदाय नहीं किया जा सकता है । उक्त कारणों से आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है, अतः खारिज किया जाता है।

आवेदिका को आवेदन पत्र में सलंग्न ई कोर्ट स्टैम्प 10/–रूपयें का आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे ।

आवेदक श्रीमती कलेन्द्री बाई को उक्त निरस्तीकरण की सूचना जिला न्यायालय, सूचना के अधिकार नियम 2005 के परिशिष्ट में उल्लेखित फार्म ''सी'' में इस आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जावे, जिसमें यह टीप अंकित की जावे कि यदि वे इस आदेश से व्यथित हैं, तो निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर वे प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान्जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (श्रीमान् नीलम चंद सांखला) दुर्ग के समक्ष प्रथम अपील संस्थित कर सकते हैं ।

सही/–
(राजेश श्रीवास्तव)
जन सूचना अधिकारी,
जिला न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

# कार्यालय जन सूचना अधिकारी
# जिला न्यायालय दुर्ग

**आवेदन क0 11/2016**

**आवेदक का नाम** – श्री एन.के. सिंह

लोक प्राधिकरण का नाम – जिला न्यायालय दुर्ग

## // आदेश //

**08 फरवरी 2016**

आवेदक श्री एन.के. सिंह ने अधोहस्ताक्षरित से जन सूचना अधिकारी की हैसियत से जानकारी चाही है :–

**चाही गयी सूचना–**

01 दुर्ग के क्लेम प्रकरण क्रमांक 27/2007, भगवानीराम वि0 प्रकाश वगैरह अधिनियम दिनांक 09/05/2008 से प्रकरण की अपील उच्च न्यायालय बिलासपुर मे की गई थी रिकार्ड उच्च न्यायालय से 09/12/2011 को दुर्ग जिला न्यायालय प्रेषित किया गया ˙ उच्च न्यायालय में मूल प्रकरण दिनांक 12/04/2013 के डिस्पेच क्रमांक 102 माध्यम से बालोद न्यायालय में भेजी गई । उक्त रिकार्ड की नकल हेतु मेरे द्वारा नकल शाख मे रसीद क्रमांक करवाई गई किन्तु मुल रिकार्ड नही है, कहकर नकल प्रदान नही की गई तथा कहा गया कि नकल बालोद न्यायालय में है कहा गया जिस पर बालोद न्यायालय द्वारा हमे उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रकरण की सुची प्रदान की गई जिसमे उक्त प्रकरण दर्शित है ।

1. उक्त चाही गयी जानकारी का अवलोकन किया गया आपके द्वारा आवेदित आवेदन में सलंग्न दस्तावेजों से यह स्पष्ट दंर्शित हो रहा है कि प्रकरण बालोद में है । प्रकरण बालोद मे है तो आपके द्वारा जनसूचना अधिकारी से जो जानकारी चाही गयी है वह स्पष्ट नही हो रही है, अतः आपका प्रश्न अस्पष्ट होने से खारिज किया जाता है ।

2. इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 523/जी.1312/2009/1–सूअप्र, दिनांक 15 मार्च 2010 एवं भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ–1/4/2009–आई.आर. दिनांक 05 अक्टूबर 2009 के साथ संलग्न मार्ग निर्देशिका का पेज क्रमांक 05 में उल्लेखित कंडिका क्रमांक –15 में दिए गए निर्देश

के अनुसार भी आवेदक को चाही गयी उक्त सूचना प्रदान नहीं की जा सकती हैं, यह निर्देश इस प्रकार है –

> **कंडिका–15 कुछ व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह दस्तावेजों में खोज कर उन्हें सूचना दे। किसी भी नागरिक को लोक अधिकारी से ऐसी सामग्री लेने का अधिकार है, जो संबद्ध लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, या उसके नियंत्रण में है। अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की गयी है कि वह प्राप्त सामग्री से कुछ निष्कर्ष निकाले और इस तरह निकाले गए निष्कर्ष आवेदक को दे । अभिप्राय यह है कि लोक सूचना अधिकारी को सामग्री उसी रूप में देनी चाहिए, जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध के परिणाम नागरिकों को बताएगा।**

माननीय पटना उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **शेखर चंद्र वर्मा बनाम स्टेट इनफॉरमेशन कमिश्नर, बिहार एवं अन्य ए.आई.आर. 2012 पटना पेज कमांक 60 के पैरा–10 में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि –**

**3. Para-10 In our view the RTI Act contemplates furnishing of information which is available on records, but it does not go so far as to require an athority to first carry out an enquiry and thereby "create" information, which appears to be what the information seeker had required of the applicant.**

उक्त कारण से आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है, अतः खारिज किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवेदक श्री एन.के. सिंह द्वारा आवेदन पत्र में चाही गयी जानकारी उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

प्रदान नहीं की जा सकती । अतः उक्त कारणों से आवेदक श्री एन.के. सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है। आवेदक श्री एन.के. सिंह 2005 के परिशिष्ट में उल्लेखित फार्म ''सी'' में इस आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जावे, जिसमें यह टीप अंकित की जावे कि यदि वे इस आदेश से व्यथित हैं, तो निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर वे प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (श्रीमान् नीलम चंद सांखला ) दुर्ग के समक्ष प्रथम अपील संस्थित कर सकते हैं ।

दुर्ग,
दिनांक–08/02/2016

सही/–
**(राजेश श्रीवास्तव)**
**जन सूचना अधिकारी,**
**जिला न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)**

# कार्यालय जन सूचना अधिकारी
# जिला न्यायालय दुर्ग

**आवेदन क0 16/2016**

**आवेदक का नाम** – श्री ए0के0 कुरेशी

लोक प्राधिकरण का नाम – जिला न्यायालय दुर्ग

## // आदेश //

**03 फरवरी 2016**

आवेदक श्री ए.के. कुरेशी ने अधोहस्ताक्षरित से जन सूचना अधिकारी की हैसियत से जानकारी चाही है :–

**चाही गयी सूचना** 01 The undersigned may please be provided following information about Public Premises cases pending in the Court of Hon'ble District Judge. Durg u/s 9 of the Public Premises (Eviction of unauthoried Occupants ) Act, 1971.

| S. No. | Date of filing of Appeal | Case No. and date on which cognizance taken | Date of stay order passed against orders of Estate Officers passed aganst Section 5 (1) & Sections 7(1) & 2 (a) of the PP Act. 71 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Name of Appellant with Address | Name & Address of Respondent | Date fixed for further hearing |
|---|---|---|
| 5 | 6. | 7. |

आवेदक के द्वारा चाही गयी जानकारी का अवलोकन किया गया ।

2. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ एक 10/– रूपये का भारतीय पोस्टल आर्डर एवं 2/–रूपये का कोर्ट फीस संलग्न किया गया है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–28 के तहत माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार नियम 2005 निर्मित किया गया है, जिसके नियम–3 के अनुसार प्रत्येक आवेदन पत्र में

12/– रूपये की कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा की जानी चाहिए, लेकिन आवेदक ने 10/– रूपयें का पोस्टल आर्डर संलग्न किया गया है । जिसके कारण आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. आवेदक ने आवेदन मे स्वयं का पता लिखा 5/–रूपये का डाक टिकिट लगा लिफाफा भी संलग्न नही किया है ।

अतः उक्त कारण से चाही गयी जानकारी आवेदक को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदाय नहीं किया जा सकता है । अतः उक्त कारण से आवेदक श्री ए0के0 कुरैशी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है। आवेदक श्री ए0के0 कुरैशी को उक्त निरस्तीकरण की सूचना जिला न्यायालय, सूचना के अधिकार नियम 2005 के परिशिष्ट में उल्लेखित फार्म ''सी'' में इस आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जावे, जिसमें यह टीप अंकित की जावे कि यदि वे इस आदेश से व्यथित हैं, तो निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर वे प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (श्रीमान् नीलम चंद सांखला) दुर्ग के समक्ष प्रथम अपील संस्थित कर सकते हैं ।

आवेदक को आवेदन पत्र में सलंग्न पोस्टल आर्डर 10/–रूपयें का आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे ।

आवेदक को निरस्तीकरण की सूचना प्रपत्र ''सी'' में प्रेषित की जावे।

सही/–
(राजेश श्रीवास्तव)
जन सूचना अधिकारी,
जिला न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)

# कार्यालय जन सूचना अधिकारी
# जिला न्यायालय दुर्ग

**आवेदन क0 07/2016**

**आवेदक का नाम – श्री अशोक भेलवा**

**लोक प्राधिकरण का नाम – जिला न्यायालय, दुर्ग**

## // आदेश //

**14 जनवरी 2016**

1– इस आदेश द्वारा आवेदक श्री अशोक भेलवा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का निराकरण किया जा रहा है। आवेदन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर( श्रीमान् योगेन्द्र सिंह सहायक जनसूचना अधिकारी, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय ) के ज्ञापन कमांक 412/208/सू.अधि.शा./छ.ग./2015 रायपुर दिनांक 11.01.16 स्थानांतरण द्वारा प्राप्त हुआ है ।

**चाही गयी जानकारी :–** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजनांदगांव छ.ग. के द्वारा आपके कार्यालय को पत्र कमांक / लीगल सेल/2011/3689–93 दिनांक 28.04.2011 के माध्यम से आपके कार्यालय के साथ छ.ग. शासन के विभिन्न विभागों एवं विभागों के प्रमुखों को भेजा गया । (आवेदन की छायाप्रति संलग्न है ।)कृपया उक्त पत्रानुसार जानकारी प्रदान करने की कृपा करें उक्त पत्र की कंडिका (6) में उल्लेखित पूर्व के तलाक नामा (1991) व अशोक भेलवा द्वारा दिनांक 18.05.1992 में कु. अरूणा पीटर से विवाह के प्रमाण पत्र 1993 में कु. मीना दुबे निवासी भिलाई से विवाह पश्चात संबंध विच्छेद के दस्तावेज की छायाप्रति प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

2– आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी निम्न कारणों से प्रदान नही की जा सकती है:–

आवेदक द्वारा न्यायालयीन अभिलेख से संबंधित जानकारी चाही गयी है । माननीय

छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला न्यायालय सूचना के अधिकार नियम 2005 निर्मित किया गया है । जिसके नियम 9 के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि –

> Provided, that if information which includes certified copy desired by the applicant, is regarding, judicial procedure or record, he shall obtain the information as per the procedure of chapter 23 Civil Court Rules and Order and Chapter 26 of Rules and orders (Criminal)

3. अतः उक्त नियम –9 के परंतुक के प्रकाश में आपके द्वारा चाही गयी जानकारी न्यायिक अभिलेख से संबंधित होने के कारण आपको प्रदान नही की जा सकती है । अतः आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिला न्यायालय सूचना के अधिकार नियम 2005 के नियम के परंतुक के अधीन निरस्त किया जाता है । **न्यायालयीन प्रकिया एवं अभिलेखो की प्रतिलिपि से संबंधित जानकारी हेतु पृथक से प्रतिलिपि विभाग में आवेदन देकर प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रावधान है ।**

**4.** इस संबंध में **माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत स्टेट पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार, कर्नाटका बनाम एनब्रासन एआईआर 2010 कर्नाटका, पेज 64 में भी यही निष्कर्ष दिया गया है कि यदि पिटिश्नर को न्यायालय के आदेश की प्रति चाहिए तो उसे उच्च न्यायालय के नियमों के तहत सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन देना चाहिए ।**

अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवेदक श्री अशोक भेलवा द्वारा उक्त आवेदन में चाही गयी जानकारी उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती । अतः उक्त कारणों से आवेदक श्री अशोक भेलवा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है। आवेदक श्री अशोक भेलवा को उक्त निरस्तीकरण की सूचना जिला न्यायालय, सूचना के अधिकार नियम 2005 के परिशिष्ट में उल्लेखित फार्म ''सी'' में इस आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जावे, जिसमें यह टीप अंकित की जावे कि यदि वे इस आदेश से व्यथित हैं, तो निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त

होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर वे प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (श्रीमान् नीलम चंद सांखला) दुर्ग के समक्ष प्रथम अपील संस्थित कर सकते हैं । आदेश की एक प्रति सूचनार्थ श्रीमान् सहायक जनसूचना अधिकारी विधि ओर विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय को भी प्रेषित की जावे ।

दुर्ग,
दिनांक–14/01/2016

सही/–
**(राजेश श्रीवास्तव)**
**जन सूचना अधिकारी,**
**जिला न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)**

# कार्यालय जन सूचना अधिकारी
# जिला न्यायालय दुर्ग

**आवेदन क0 17/2016**

**आवेदक का नाम – श्री बिन्दु नायर**

**लोक प्राधिकरण का नाम – जिला न्यायालय, दुर्ग**

## // आदेश //

**02 फरवरी 2016**

1– इस आदेश द्वारा आवेदक श्री बिन्दु नायर द्वारा प्रस्तुत दो आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक श्री बिन्दु नायर ने कुल दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जो पृथक–पृथक पंजीबद्ध किए गए हैं, लेकिन आवेदक श्री बिन्दु नायर ने दोनों आवेदनपत्रों में जो जानकारी चाही है, उसकी प्रकृति एक समान है, इसलिए दोनों आवेदनपत्रों का इस एक आदेश के माध्यम से निराकरण किया जा रहा है।

2 **आवेदन कमांक 17/2016 में आवेदक ने निम्न जानकारी चाही है–**

न्यायालय श्रीमान नवम ए0डी0जे0 दुर्ग के न्यायालय के प्रकरण कमांक सिविल 5 ए/2009 पक्षकार एस0एच0व्ही0 एनर्जी विरूद्ध पंजाब नेशनल बैक के प्रकरण के संपूर्ण आर्डरशीट की सत्यापित प्रति दिये जाने बाबत् ।

**आवेदन कमांक 18/2016 में आवेदक ने निम्न जानकारी चाही है–**

न्यायालय श्रीमान् सप्तम जे0डी0जे0 दुर्ग के न्यायालय के प्रकरण कमांक 25 ए/ 2010 पक्षकार बी0 पीटर वगैरह विरूद्ध पंजाब नेशनल बैंक के सिविक प्रकरण की सम्पूर्ण आर्डरशीट की सत्यापित प्रति दिये जाने बाबत् ।

3– आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी निम्न कारणों से प्रदान नही की जा सकती हैः–

आवेदक द्वारा न्यायालयीन अभिलेख से संबंधित जानकारी चाही गयी है । माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला न्यायालय

सूचना के अधिकार नियम 2005 निर्मित किया गया है । जिसके नियम 9 के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि –

> Provided, that if information which includes certified copy desired by the applicant, is regarding, judicial procedure or record, he shall obtain the information as per the procedure of chapter 23 Civil Court Rules and Order and Chapter 26 of Rules and orders (Criminal)

4. अतः उक्त नियम –9 के परंतुक के प्रकाश में आपके द्वारा चाही गयी जानकारी न्यायिक अभिलेख से संबंधित होने के कारण आपको प्रदान नही की जा सकती है । अतः आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिला न्यायालय सूचना के अधिकार नियम 2005 के नियम के परंतुक के अधीन निरस्त किया जाता है । **न्यायालयीन प्रकिया एवं अभिलेखो की प्रतिलिपि से संबंधित जानकारी हेतु पृथक से प्रतिलिपि विभाग में आवेदन देकर प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रावधान है ।**

**5.** इस संबंध में **माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत स्टेट पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार, कर्नाटका बनाम एनब्रासन एआईआर 2010 कर्नाटका, पेज 64 में भी यही निष्कर्ष दिया गया है कि यदि पिटिश्नर को न्यायालय के आदेश की प्रति चाहिए तो उसे उच्च न्यायालय के नियमों के तहत सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन देना चाहिए ।**

**6.** माननीय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा **अपील प्रकरण कमांक 785/2014 अपीलार्थी विपिन बिहारी मिश्रा वि0 जनसूचना अधिकारी दुर्ग में पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 में यह मत दिया है कि न्यायालयीन प्रकिया एवं रिकार्ड के संबंध में संबंधित जानकारी हेतु नियमानुसार प्रतिलिपि अनुभाग में आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते है ।**

अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवेदक श्री बिन्दु नायर द्वारा उक्त आवेदन में चाही गयी जानकारी उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती । अतः उक्त कारणों से आवेदक श्री बिन्दु नायर द्वारा प्रस्तुत

आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है। आवेदक श्री बिन्दु नायर को उक्त निरस्तीकरण की सूचना जिला न्यायालय, सूचना के अधिकार नियम 2005 के परिशिष्ट में उल्लेखित फार्म ''सी'' में इस आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जावे, जिसमें यह टीप अंकित की जावे कि यदि वे इस आदेश से व्यथित हैं, तो निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर वे प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (श्रीमान् नीलम चंद सांखला) दुर्ग के समक्ष प्रथम अपील संस्थित कर सकते हैं ।

यह आदेश आवेदक के प्रथम आवेदन क्रमांक 17/2016 में पारित किया गया है। इस आदेश की सत्यापित प्रति आवेदन क्रमांक 18/2016 में भी संलग्न की जावे ।

दुर्ग,
दिनांक–02/02/2016

सही/–
**(राजेश श्रीवास्तव)**
**जन सूचना अधिकारी,**
**जिला न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)**

# कार्यालय जन सूचना अधिकारी
# जिला न्यायालय दुर्ग

**आवेदन क0 18/2016**

**आवेदक का नाम – श्री बिन्दु नायर**

**लोक प्राधिकरण का नाम – जिला न्यायालय, दुर्ग**

## // आदेश //

**02 फरवरी 2016**

1– इस आदेश द्वारा आवेदक श्री बिन्दु नायर द्वारा प्रस्तुत दो आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–6 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक श्री बिन्दु नायर ने कुल दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं, जो पृथक–पृथक पंजीबद्ध किए गए हैं, लेकिन आवेदक श्री बिन्दु नायर ने दोनों आवेदनपत्रों में जो जानकारी चाही है, उसकी प्रकृति एक समान है, इसलिए दोनों आवेदनपत्रों का इस एक आदेश के माध्यम से निराकरण किया जा रहा है।

2 **आवेदन कमांक 17/2016 में आवेदक ने निम्न जानकारी चाही है–**

न्यायालय श्रीमान नवम ए0डी0जे0 दुर्ग के न्यायालय के प्रकरण कमांक सिविल 5 ए/2009 पक्षकार एस0एच0व्ही0 एनर्जी विरूद्ध पंजाब नेशनल बैक के प्रकरण के संपूर्ण आर्डरशीट की सत्यापित प्रति दिये जाने बाबत् ।

**आवेदन कमांक 18/2016 में आवेदक ने निम्न जानकारी चाही है–**

न्यायालय श्रीमान् सप्तम जे0डी0जे0 दुर्ग के न्यायालय के प्रकरण कमांक 25 ए/ 2010 पक्षकार बी0 पीटर वगैरह विरूद्ध पंजाब नेशनल बैंक के सिविक प्रकरण की सम्पूर्ण आर्डरशीट की सत्यापित प्रति दिये जाने बाबत् ।

3– आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी निम्न कारणों से प्रदान नही की जा सकती हैः–

आवेदक द्वारा न्यायालयीन अभिलेख से संबंधित जानकारी चाही गयी है । माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला न्यायालय

सूचना के अधिकार नियम 2005 निर्मित किया गया है । जिसके नियम 9 के परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि –

> Provided, that if information which includes certified copy desired by the applicant, is regarding, judicial procedure or record, he shall obtain the information as per the procedure of chapter 23 Civil Court Rules and Order and Chapter 26 of Rules and orders (Criminal)

4. अतः उक्त नियम –9 के परंतुक के प्रकाश में आपके द्वारा चाही गयी जानकारी न्यायिक अभिलेख से संबंधित होने के कारण आपको प्रदान नही की जा सकती है । अतः आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिला न्यायालय सूचना के अधिकार नियम 2005 के नियम के परंतुक के अधीन निरस्त किया जाता है । **न्यायालयीन प्रकिया एवं अभिलेखो की प्रतिलिपि से संबंधित जानकारी हेतु पृथक से प्रतिलिपि विभाग में आवेदन देकर प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रावधान है ।**

**5.** इस संबंध में **माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत स्टेट पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार, कर्नाटका बनाम एनब्रासन एआईआर 2010 कर्नाटका, पेज 64 में भी यही निष्कर्ष दिया गया है कि यदि पिटिश्नर को न्यायालय के आदेश की प्रति चाहिए तो उसे उच्च न्यायालय के नियमों के तहत सत्यापित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन देना चाहिए ।**

**6.** माननीय छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा **अपील प्रकरण कमांक 785/2014 अपीलार्थी विपिन बिहारी मिश्रा वि0 जनसूचना अधिकारी दुर्ग में पारित आदेश दिनांक 18.08.2015 में यह मत दिया है कि न्यायालयीन प्रकिया एवं रिकार्ड के संबंध में संबंधित जानकारी हेतु नियमानुसार प्रतिलिपि अनुभाग में आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते है ।**

अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवेदक श्री बिन्दु नायर द्वारा उक्त आवेदन में चाही गयी जानकारी उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान नहीं की जा सकती । अतः उक्त कारणों से आवेदक श्री बिन्दु नायर द्वारा प्रस्तुत

आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है। आवेदक श्री बिन्दु नायर को उक्त निरस्तीकरण की सूचना जिला न्यायालय, सूचना के अधिकार नियम 2005 के परिशिष्ट में उल्लेखित फार्म ''सी'' में इस आदेश की प्रति सहित प्रेषित की जावे, जिसमें यह टीप अंकित की जावे कि यदि वे इस आदेश से व्यथित हैं, तो निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर वे प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (श्रीमान् नीलम चंद सांखला) दुर्ग के समक्ष प्रथम अपील संस्थित कर सकते हैं ।

यह आदेश आवेदक के प्रथम आवेदन क्रमांक 17/2016 में पारित किया गया है। इस आदेश की सत्यापित प्रति आवेदन क्रमांक 18/2016 में भी संलग्न की जावे ।

दुर्ग,
दिनांक–02/02/2016

सही/–
**(राजेश श्रीवास्तव)**
**जन सूचना अधिकारी,**
**जिला न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.)**